राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	आलोच्य आदेश	नाम अधिवक्ता
1.	739/2025	राकेश कुमार मालाकार	राजस्थान राज्य जरिये अति.मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
2.	740/2025	प्रभु राम धून		15.01.2025 (अनुलग्नक–1)	

आदेश की दिनांक : 07.02.2025

उपस्थिति :–
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले (अध्यक्ष)
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. उपरोक्त तालिका में अंकित दोनों अपीलों में आलोच्य आदेशों को समान आधार पर चुनौती दी गयी है। अतः दोनों अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या–739/2025 राकेश मालाकार बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं। अपील संख्याः–739/2025 में अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आदेश दिनांक 28.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान स्थान क्षेत्रिय वन अधिकारी, मालपुरा, कार्यालय उप वन संरक्षक, टोंक में पदस्थापित किया गया था। इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2023 को कार्य ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर दो वर्ष का समय नहीं हुआ है और दो वर्ष से पूर्व ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से रेंज आमेर, उप वन संरक्षक, जयपुर कर दिया गया है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग की स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध जाते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि

राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.04.2011 जारी किया गया है, उसमें मत संख्या 1.1 में निम्न प्रकार से प्रावधान है :–

> ''1.1 प्रत्येक अधिकारी/कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा।''

4. उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष की होगी। नीति के विरूद्ध जाकर स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या–2739/2024 मनोहर संधेरा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें उच्च न्यायालय में वन विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति 20.04.2011 के विपरीत जाते हुए 2 वर्ष पूर्व से किये गये स्थानान्तरण आदेशों को स्थगित रखा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का प्रकरण उक्त प्रकरण से भिन्न नहीं है। अपीलार्थी के सम्बन्ध में दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी के प्रकरण में भी स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा जावे। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण एसबी सिविल रिट याचिका संख्या–11569/2015 गब्बर सिंह नेगी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 का अवलम्ब लिया है, जिसके आधार पर अपीलार्थी का कथन है कि नीति के विरूद्ध जाकर अधिशेष किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियां सरकार पर बाध्यकारी है। नीति विरूद्ध जाकर स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।

5. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

6. हम पाते हैं कि वन विभाग ने जो स्थानान्तरण नीति दिनांक 20.07.2021 जारी कि है, उसमें मत संख्या 1.1 में यह प्रावधान रखा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। साथ में यह भी प्रावधान रखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण किया जा सकता है। साथ में हम यह भी पाते है कि स्थानान्तरण नीति में मत संख्या 6.2 में निम्न प्रकार से भी प्रावधान रखा गया है :–

''6.2 राज्य सरकार द्वारा किसी राज्यकर्मी (अधिकारी/कर्मचारी) का स्थानान्तरण आवश्यकता (एक्सीजेंसी) को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।''

7. इस प्रकार उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि राज्यकर्मी का स्थानान्तरण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकता है। वर्तमान में जो स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 जारी किया गया है, उससे प्रकट होता है कि उक्त स्थानान्तरण राज्यहित में किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्यहित के दृष्टिगत किया जाना प्रकट होता है, जो कि आवश्यक परिस्थिति होना माना जा सकता है। प्रकरण शिल्पी बोस एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (1991 Supp (2) SCC 659) में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest. The High court over looked these aspects in interfering with the transfer orders."

8. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूपी राज्य एवं अन्य बनाम गोबरधन लाल एवं अन्य (2004)11 SCC 402, में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया है :–

"7. It is too late in the day for any Government Servant to contend that once appointed or posted in a particular place or position, he should continue in such place or position as long as he desires. Transfer of an employee is not only an incident inherent in the terms of appointment but also implicit as an essential condition of service in the absence of

any specific indication to the contra in the law governing or conditions of service. Unless the order of transfer is shown to be an outcome of a mala fide exercise of power or violative of any statutory provision (an Act or Rule) or passed by an authority not competent to do so, an order of transfer cannot lightly be interfered with as a matter of course or routine for any or every type of grievance sought to be made. Even administrative guidelines for regulating transfers or containing transfer policies at best may afford an opportunity to the officer or servant concerned to approach their higher authorities for redress but cannot have the consequence of depriving or denying the competent authority to transfer a particular officer/servant to any place in public interest and as is found necessitated by exigencies of service as long as the official status is not affected adversely and there is no infraction of any career prospects such as seniority, scale of pay and secured emoluments. This Court has often reiterated that the order of transfer made even in transgression of administrative guidelines cannot also be interfered with, as they do not confer any legally enforceable rights, unless, as noticed supra, shown to be vitiated by mala fides or is made in violation of any statutory provision."

9. उपरोक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया है कि यदि स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध कोई स्थानान्तरण होना राज्यकर्मी मानता है तो वह उच्च अधिकारी के समक्ष अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे में लोकहित में किये गये स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

10. माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4478/2024 समयसिंह मीणा बनाम राजस्थान राज्य में निर्णय दिनांक 27.08.2024 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :-

"8. The petitioners are working on the post of Patwari, which is a transferable post. It is well-settled principle that transfer of a particular employee appointed to the class or category of transferable posts from one place to other is not only an incident, but a condition of service, necessary too in public interest and efficiency in the public administration. An employee cannot, as a matter of right, claim to remain posted at a particular place. So far as the circulars dated 05.05.1989 and 30.10.1993 are concerned, the same are not mandatory in nature and just a transfer policy. Furthermore, by the order dated 17.06.2024, of which petitioner Suresh Kumar is

aggrieved, he has been transferred from Patwar Mandal Riyanbadi, Tehsil Riyanbadi to Patwar Mandal Bhanwal, Tehsil Riyanbadi, i.e. within the same Tehsil.

Transfer is an implied condition of service and the power is always vested in the Government to transfer an employee in administrative exigency. In the case at hand the respondents have exercised this power for better administration. So far as the power to interfere in transfer orders is concerned, the law on the point is no more res integra in view of the catena of judgments passed by Hon'ble Apex Court."

11. हम पाते हैं कि स्थानान्तरण नीति केवल दिशा–निर्देश हैं। इसे बाध्यकारी होना नहीं माना जा सकता है। प्रशासनिक कारणों से लोकहित में किये गये स्थानान्तरण को इस आधार पर गलत होना नहीं माना जा सकता कि उक्त आदेश में स्थानान्तरण नीति को पूर्णतः नहीं माना गया है। हम यह भी पाते है कि स्थानान्तरण नीति में विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

12. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 739/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपील में संलग्न की जायें।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष